



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22062020-220091
CG-MH-E-22062020-220091

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]
No. 211]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 10 जून 2020

सं. टीएएमपी/12/2020/-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एनएमपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर प्रणाली के संचालनार्थ प्रशुल्क निर्धारण के लिए, न्यू मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/12/2020/-एनएमपीटी

न्यू मंगलूर पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत संच्वर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून 2020 के प्रथम दिन पारित)

यह मामला एनएमपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम के संचालनार्थ प्रशुल्क निर्धारण के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त दिनांक 06 फरवरी 2020 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने 12 जुलाई 2018 पत्र के माध्यम से, पत्तन पर चल (मोबाइल) एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग की स्थापना की लागत की वसूली के लिए प्रासमिक दरों का अनुसरण करने और प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, आईपीए द्वारा लिये गए निर्णय के संदर्भ में पांच प्रमुख पत्तन न्यासों न्यू मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी), जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी), विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) को सूचित किया गया है।

3.1. इस संबंध में, सामान्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, एनएमपीटी ने एक नयी प्रशुल्क मद अर्थात् अनुसूची 4.7 के तहत कंटेनर स्कैनिंग प्रशुल्क - रुपये 276/- प्रति कंटेनर का प्रस्ताव किया था।

3.2. इस प्राधिकरण ने, अपने दरमानों (एसओआर) में सामान्य संशोधन के लिए एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए 24 जुलाई 2019 को एक आदेश संख्या टीएएमपी/78/2018-एनएमपीटी पारित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित एसओआर और निष्पादन मानकों को 21 अगस्त 2019 को प्रकाशित भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में राजपत्र सं. 294 पर राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इसके बाद, 03 सितंबर 2019 को राजपत्र संख्या 307 पर विस्तृत आदेश अधिसूचित किया गया है। उक्त में आदेश में प्रशुल्क वैधता अवधि 20 सितंबर 2022 तक निर्धारित की गई है।

3.3. इस प्राधिकरण ने वीपीटी के लिए आदेश संख्या टीएएमपी/77/2018-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 के तहत अनुमोदित संशोधित एसओआर में, निम्नलिखित दर को मंजूरी दी है क्योंकि एनएमपीटी ने, वसूली के लिए प्रासमिक (नार्मेटिव) दृष्टिकोण अपनाए जाने के बाद प्रस्तावित दर के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देश अनुसार परिकलन प्रस्तुत नहीं किया था:

4.7. कंटेनर स्कैनिंग शुल्क:

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति टीईयू(रुपये)
1	कंटेनर स्कैनिंग शुल्क	152.00

3.4. इस प्राधिकरण ने दिनांक 24 जुलाई 2019 के उक्त विस्तृत आदेश के पैरा सं. 13 (xxii) में कहा है कि पत्तन, यदि आवश्यक समझे तो पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्देशित लागत की वसूली के लिए वीपीटी पर कंटेनर स्कैनर हेतु दर निर्धारण के लिए अपनाए गए मॉडल के अनुरूप प्रासमिक दृष्टिकोण पर आधारित दर के प्रस्ताव की सिफारिश कर सकता है।

4.1. इस पृष्ठभूमि में, एनएमपीटी ने संदर्भगत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एनएमपीटी के 6 फरवरी 2020 के पत्र में उल्लेखित मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- पत्तन ने न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से संकल्प सं. 97/2017-18 के तहत एक (01) मोबाइल कंटेनर स्कैनर की खरीद की।
- पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक संख्या -पीडी-14033/113/2015-पीडी.5 दिनांक 12 जुलाई 2018 में स्पष्ट किया कि पत्तन को लागत वसूली के लिए प्रासमिक दरों का अनुकरण करना होगा और प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्ताव न्यासी बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद टीएएमपी को भेजा जाएगा।

- (iii). एनएमपीटी ने प्रासमिक आधार पर 276/- रुपये प्रति कंटेनर शुल्क की गणना की है और दरमान में उस दर के सामान्य संशोधन के लिए टीएमपी को 5 मार्च 2019 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। टीएमपी ने, एनएमपीटी के द्वारा रुपये 276 / टीईयू के प्रासमिक कार्य परिकलन के अभाव में वीपीटी में समतुल्य एक ही सेवा के लिए अनुमोदित शुल्क पर विचार करते हुए, 24 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा रुपये 152/- प्रति टीईयू की दर अधिसूचित की है। इसके बाद अब, टीएमपी ने पत्तन को सलाह दी है कि यदि पत्तन यह आवश्यक समझता है, तो लागत की वसूली के लिए वह पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रासमिक दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रस्ताव दर्ज करे।
- (iv). कंटेनर स्कैनर लगाने का कार्य पूरा हो गया है और खरीद संबंधी और इसका वास्तविक व्यय उपलब्ध है। यह देखा गया है कि एनएमपीटी की सिविल और उपकरण पर व्यय लागत वीपीटी की तुलना में अधिक है। इसलिए, एनएमपीटी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- (v). तदनु रूप, एग्जिम कंटेनर के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यथानिर्देशित प्रासमिक आधार पर चक्रवृद्धि तरीके से गणित की गई प्रस्तावित संशोधित दर रुपये 270/- प्रति टीईयू न्यासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यासी बोर्ड के संकल्प सं. 128/2019-20 के तहत अनुमोदन प्रदान किया है। गणना का विवरण प्रस्तुत है। एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड की मंजूरी प्रस्तुत की गई है।
- (vi). इसलिए, एनएमपीटी ने प्रस्ताव पर विचार करने और शुल्क में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

4.2. एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत रुपये 270/- प्रति टीईयू शुल्क की गणना के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(i). पूंजी लागत:

I.	एक्सरे स्कैनर की पूंजीगत लागत (जीएसटी के बिना) + कस्टम ड्यूटी (\$16,64,788 x रुपये 71.5 (विनिमय दर) +97,72,097.50	12,88,04,440
II.	सिविल कार्यों की पूंजीगत लागत (वास्तविक व्यय के अनुसार)	3,14,92,627
III.	स्थापन कार्य की लागत	3,79,20,336
IV.	रोशनी + फाइबर + सीसीटीवी नेटवर्क सहित विद्युत आपूर्ति पर पूंजीगत लागत	40,00,000
V.	एल 3 स्विच की पूंजीगत लागत (कार्यक्रम के अनुसार)	11,72,277
	कुल पूंजीगत लागत	20,33,89,680

नोट:

- सिविल और उपकरण लागत पर 5% की विविध लागत का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि लागत वास्तविक कार्य-आदेश मूल्य के अनुसार है।
- आईपीए द्वारा संप्रेषित वस्तुओं/मदों की मूल्य अनुसूची और मात्रा अनुसूची की लागत मद में जीएसटी शामिल है। हालाँकि, इसे बाहर रखा गया है क्योंकि जीएसटी के लिए सिविल कार्यों पर पूंजी लागत को छोड़कर, क्रेडिट लिया जाएगा।

(ii). निर्धारित आकलित क्षमता:

काम के दायरे के अनुसार एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की निर्धारित आकलित कार्य-क्षमता 40 फीट वाले 20 कंटेनर प्रति घंटा (एक दिशा में सीधे संचालन) के आधार पर है।

इसलिए, वार्षिक क्षमता निम्नानुसार परिकलित की गई है:

$$0.7 \times 365 \text{ दिन} \times 24 \text{ माह} \times 20 \text{ कंटेनर} \times 2 \text{ टीईयू} = 2,45,280 \text{ टीईयू वार्षिक}.$$

[मूल्यांकन की गई अधिकतम क्षमता वीपीटी के समान है]

(iii). प्रचालन और अनुरक्षण लागत :

(क). (i). विद्युत:

सुविधा के संचालन के लिए विद्युत की खपत लागत रुपये 44,44,474 प्रति वर्ष की राशि का अनुमान है।

$$(\text{प्रति घंटा खपत यूनिट} \times \text{इष्टतम क्षमता} \times \text{इकाई दर}) / 40 \text{ टीईयू प्रति घंटा}$$

$$= (80 \text{ यूनिट} \times 245280 \times \text{रुपये } 9.06) / 40$$

$$=\text{रुपये } 44,44,474$$

आपूर्तिकर्ता मै. स्मिथ्स डिटेक्शन द्वारा प्रदान किये गये विद्युत वितरण डेटा शीट के अनुबंध - 4 के अनुसार, विद्युत की लागत नीचे दी गई है :

क्रम सं.	ब्योरा	विद्युत की आवश्यकता - केवीए में	विद्युत की खपत -केवीएच में
1	प्रति घंटे एमएक्ससीएस की विद्युत की आवश्यकता	45	प्रति घंटे 45 यूनिट
2	कार्यालय स्थान और प्रति घंटे नेटवर्किंग की विद्युत की आवश्यकता	35	प्रति घंटे 35 यूनिट
	कुल		प्रति घंटा 80 यूनिट

प्रति वर्ष विद्युत प्रभार = (प्रति घंटा खपत किए गए यूनिट x इष्टतम क्षमता x यूनिट दर) / प्रति घंटा 40 टीईयू।

प्रति वर्ष विद्युत ऊर्जा प्रभार होगा:

$$\text{रुपये} = (80 \text{ यूनिट} \times 245280 \times 9.06) / 40$$

$$=\text{रुपये } 44,44,474 \text{ जैसा कि ऊपर (i) ऊपर दिया गया है।}$$

(ii). ईंधन :

स्कैनर के साथ बैक-अप के रूप में डीजल इंजन है और खपत बहुत कम है इसलिए इसे शून्य लिया गया है।

(ख). मरम्मत और अनुरक्षण

एमसी का 5% ऊपरि व्यय (ओवरहेड्स) और विद्युत आपूर्ति की लागत अर्थात् (एमसी की लागत 1,26,92,347 रुपये + विद्युत शक्ति की लागत 44,44,474 रुपये) =रुपये 8,56,841 मानी गई है।

(ग). बीमा:

सकल अचल परिसंपत्तियों का मूल्य रुपये 20,33,89,680/- है। मानकों के अनुसार सकल अचल परिसंपत्तियों पर @ 1% दर से रुपये 20,33,897/- प्रति वर्ष बीमा के लिए गणित किए गए हैं।

(घ). मूल्यह्रास :

सुविधा का वर्गीकरण - "IV - संयंत्र एवं एंड मशीनरी (क) कंपनी के एक्ट के तहत अन्य विशिष्ट उद्योगों में शामिल नहीं किए गए सतत प्रोसेस प्लांट के अलावा प्लांट एवं मशीनरी" के अंतर्गत किया गया है, जिसके लिए निर्दिष्ट कार्य जीवन अवधि 15 वर्ष है। मूल्यह्रास की गणना उस हिसाब से की गई है जो प्रति वर्ष रुपये 1,35,59,312/- गणित हुई है।

(ङ). लाइसेंस शुल्क और अन्य व्यय:

डीजीएफटी और सीमा शुल्क की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा की स्थापना एनएमपीटी की लागत पर अपने परिसर में की गई है इसलिए लाइसेंस शुल्क और अन्य खर्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सीमा शुल्क ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेटर और छवि विश्लेषकों का प्रावधान सीमा शुल्क द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि डेटा एंट्री स्टाफ, मार्शल और गार्ड जैसे गैर-तकनीकी कर्मचारी कौन प्रदान करेगा। इस संबंध में, प्रस्ताव में एक प्रावधान किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की आवश्यक संख्या	अर्ध कुशल श्रेणी के लिए सीएलसी के लिए 01/10/2019 के आदेश के अनुसार दैनिक वेतन (प्रतिलिपि के लिए अनुलग्नक-3 देखें) (रूपयों में)
1	डाटा एंट्री स्टाफ	4	666
2	ट्रैफिक मार्शल	7	666
3	गार्ड	7	666

18 स्टाफ सदस्य x 666 प्रति दिन x 365 = रुपये 43,75,620

(iv). आरओसीई :

टीएएमपी मानदंडों के अनुसार, 16% आरओसीई अनुमत है। हालाँकि, पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पीडी 14033/113/2015-पीडी दिनांक 12-7-2018 में उल्लेखित है कि यह निर्णय लिया गया था कि पत्तन को लागत वसूली के लिए प्रासमिक दरों का अनुकरण करना होगा और प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। उपकरण का कार्य-जीवन काल 15 वर्ष है।

	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
पूंजी लागत	20,33,89,680	18,98,30,368	17,62,71,056
मूल्यह्रास	1,35,59,312	1,35,59,312	1,35,59,312
डब्ल्यूडीवी	18,98,30,368	17,62,71,056	16,27,11,744
औसत डब्ल्यूडीवी	17,62,71,056		
आरओसीई @ 16% औसत डब्ल्यूडीवी	2,82,03,368		

[वीपीटी और केओपीटी के मामले में, आरओसीई की गणना सकल ब्लॉक पर की जाती है न कि डब्ल्यूडीवी पर क्योंकि प्रशुल्क 15 साल के लिए सूचकांकन के अध्याधीन लागू होता है। वीपीटी ने 15 वर्ष से अधिक के जीवनकाल में 6.67% प्रतिफल पर विचार किया है, जबकि केओपीटी ने 16% आरओसीई की मांग की है।]

(v). वार्षिक राजस्व मांग :

क्रम सं.	विवरण	राशि (रूपये)
1.	विद्युत की खपत	44,44,474
2.	ऊपर व्यय(ओवरहेड्स)	8,56,841
3.	बीमा	20,33,897
4.	मूल्यहास	1,35,59,312
5.	आरओसीई @ 16%	2,82,03,369
6.	एएमसी लागत	1,26,92,347
7.	श्रमशक्ति	43,75,620
	कुल	6,61,65,859

(vi). प्रस्तावित शुल्क:

इसलिए, प्रशुल्क प्रति टीईयू = रुपये 6,61,65,859 ÷ 22,45,280 = रु 270 प्रति टीईयू।

5.1. एनएमपीटी ने अपने दिनांक 27 फरवरी 2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्तावित लेवी को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित शर्तों का प्रस्ताव किया है:

- कंटेनर स्कैनिंग के लिए निर्धारित प्रशुल्क आयात और निर्यात किए गए सभी कंटेनरों पर लागू होता है चाहे वह स्कैन किया गया हो या नहीं।
- कंटेनर स्कैनिंग शुल्क पत्तन द्वारा तब तक एकत्र किए जाएंगे जब तक रियायतकर्ता मैकेनाइज्ड कंटेनर प्रहस्तन के लिए अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर देता। मैकेनाइज्ड प्रहस्तन संचालन शुरू होने के बाद, रियायतकर्ता उपयोगकर्ता से स्कैनिंग शुल्क एकत्र करेगा और पत्तन को भुगतान करेगा क्योंकि कंटेनर स्कैनर की खरीद, स्थापना, कमीशन और संचालन के लिए खर्च पत्तन द्वारा वहन किया गया है।
- निर्धारित प्रशुल्क, स्वचालित वार्षिक इंडेक्सेशन के अध्याधीन लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

5.2. तत्पश्चात एनएमपीटी के 06 फरवरी 2020 के प्रस्ताव तथा हमारे 26 फरवरी, 2020 के ई-मेल को स्वीकारते वक्त एनएमपीटी को हमारे 27 फरवरी 2020 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था मौजूदा दरमानों में रु. 152 रु. प्रति टीईयू की अपेक्षा रु. 276/- प्रति टीईयू की प्रस्तावित दर से एकत्रित होने वाले कंटेनर स्कैनर शुल्क का आकलन किया जाए और पुष्टि करे कि यह कम पड़ने वाले राजस्व के रु. 2.02 करोड़ की सीमा के भीतर होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/78/2018-एनएमपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित पिछले संशोधित दरमानों में रु. 421.06 करोड़ के कुल आकलित एआरआर के भीतर रहे।

5.3. प्रत्युत्तर में, एनएमपीटी ने दिनांक 5 मार्च 2020 के अपने ई-मेल में उल्लेख किया है कि मौजूदा एसओआर में अनुमोदित प्रति टीईयू 152 रूपए के विरुद्ध वर्तमान संशोधित प्रस्तावित दर 270/- प्रति टीईयू है। एसओआर के सामान्य संशोधन में 421.06 करोड़ रुपये के अनुमानित एआरआर में कंटेनर स्कैनर पर पूंजी लागत की लागत गणना के लिए नहीं लिया गया था। कंटेनर स्कैनर से आय की तुलना एआरआर के साथ नहीं की जा सकती है।

6. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, 6 फरवरी 2020 के प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संघों और उपयोगकर्ताओं (एनएमपीटी के सुझाव अनुसार) अग्रेषित किया गया तथा उनसे उनकी टिप्पणी मांगी गई। हमें केवल एसोसिएशन ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्टर्स स्टीवेडोर्स (एएलएमपीएस) से उनके 07 मार्च, 2020 के पत्र के तहत टिप्पणी प्राप्त हुई जिसे फीडबैक जानकारी के रूप में एनएमपीटी को भेज दिया गया था। एनएमपीटी से इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

7. संदर्भगत मामले पर 6 मार्च 2020 को एनएमपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। एनएमपीटी ने अपने प्रस्ताव का एक संक्षिप्त पॉवर प्वायंट प्रस्तुति प्रस्तुत की। संयुक्त सुनवाई में, एनएमपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं/संगठन निकायों ने अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

8.1. संयुक्त सुनवाई के दौरान, उपयोगकर्ताओं ने पत्तन द्वारा प्रस्तावित कंटेनर स्कैनर प्रभार के लिए प्रति टीईयू 270 रुपये के शुल्क पर आपत्ति जताई है। एनएमपीटी, व्यापारियों की आपत्ति पर विचार करके टीएमपी को सूचित करने पर सहमत हो गया है। इसलिए, एनएमपीटी को हमारे 09 मार्च 2020 के पत्र के तहत उपयोगकर्ताओं की आपत्ति पर गौर करने और तदनु रूप टीएमपी को सूचित करने का अनुरोध किया, गया।

8.2. इसके जवाब में, एनएमपीटी ने अपने 20 मार्च 2020 के पत्र के तहत पत्तन उपयोगकर्ताओं के विचारों और एसोसिएशन ऑफ न्यू मैंगलोर पत्तन स्टीवेडोर्स (एएलएमपीएस) के मतों पर विचार किया और नियोजित पूंजी पर 16% के बजाय 7% प्रत्यागम (आरओसीई) पर विचार करने का प्रस्ताव दिया। मूल प्रस्ताव में एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क को 270/- रुपये प्रति टीईयू से घटाकर 211 / - रुपये प्रति टीईयू कर दिया गया है। पत्तन ने संशोधित गणना प्रस्तुत की है। एनएमपीटी द्वारा की गई संशोधित गणना में मुख्य आशोधन का विवरण नीचे दिया गया है।

(क). एनएमपीटी ने मूल प्रस्ताव में, एमएमसी के 5% पर ऊपरि व्यय और विद्युत ऊर्जा (ओवरहेड्स और इलेक्ट्रिकल पावर) की लागत पर विचार किया था। संशोधित गणना में, एनएमपीटी ने मरम्मत और रखरखाव पर पूंजीगत लागत की 1% की दर से सिविल कार्य के लिए, विद्युत के उपकरणों के लिए पूंजीगत लागत के 2% की दर से व्यय का विचार किया है और एमएमसी लागत आठ वर्षों में विस्तारित है।

(ख). मूल प्रस्ताव में 16% प्रत्यागम की तुलना में आरओसीई, सकल पूंजी लागत का 7% माना गया है।

(ग) एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत संशोधित गणना का सारांश इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	अनुमान (रूपये)
I	इष्टतम प्रहस्तन क्षमता	
	अनुमानित कुल इष्टतम प्रहस्तन क्षमता (प्रति वर्ष टीईयू) [जैसा कि मूल प्रस्ताव में ली गई है]	2,45,280
	(0.7 x 365 दिन x 24 घंटे x 20 नग x 2 टीईयू)	
II	पूंजी लागत (जैसा कि मूल प्रस्ताव में माना गया है (ब्रेक अप पहले से प्रस्तुत है इसलिए दोहराया नहीं गया)	20,33,89,680
III	परिचालन लागत	
क.	विद्युत की खपत [(80 यूनिट प्रति घंटा x 245280 कंटेनर x रुपया 9.06 यूनिट दर)/40 टीईयू प्रति घंटा]	44,44,474
ख.	सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव (@ सिविल	3,14,926

	परिसंपत्तियों का 1%) रु.31492627 x 1%)	
ग.	मैकेनिकल और विद्युतीय उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव, कलपुर्जों सहित	
	(i) एक्सरे कंटेनेटर स्कैनर का एएमसी , जीएसटी रहित (रूपये 101538775/8 वर्ष)	1,26,92,347
	(ii). विद्युत कार्यों की मरम्मत और रखरखाव- (@ पूंजीगत लागत का 2%)	1,03,446
घ.	बीमा – (@ कुल पपरिसंपत्तियों का 1 प्रतिशत)	20,33,897
ङ.	मूल्यहास (15 वर्ष का कार्य-जीवन काल अर्थात 6.67%) {203389680/15 वर्ष}	1,35,59,312
च.	जनशक्ति (18 स्टाफ सदस्य x रु. 666 प्रति दिन x 365)	43,75,620
	कुल परिचालन लागत	3,75,24,021
IV	नियोजित पूंजी लागत पर प्रत्यागम (आरओसीई)	
	रु. 20.34 करोड़ की सकल पूंजी लागत पर 7%)	1,42,37,278
V	कुल वार्षिक लागत वसूली की आवश्यकता (III + IV)	5,17,61,299
VI	प्रशुल्क प्रति टीईयू (V / I)	211

(घ). एनएमपीटी ने पहले (i) और (iii) में प्रस्तावित दो शर्तों का प्रस्ताव किया है। संशोधित प्रस्ताव में पहले की शर्त सं. (ii) प्रस्तावित नहीं है।

- (i). कंटेनर स्कैनिंग के लिए निर्धारित प्रशुल्क आयात और निर्यात किए जाने वाले कंटेनरों सभी पर लागू है चाहे वह स्कैन किया जाता है अथवा नहीं।
- (ii). निर्धारित प्रशुल्क स्वचालित वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

9. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों और तर्कों का उद्धरण, संबंधित पक्षों को अलग से भेज दिए जाएंगे। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. इस मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, निम्न स्थिति उजागर होती है:

- (i). न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दायर प्रस्ताव एनएमपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम के संचालन के लिए शुल्क निर्धारण के लिए है जो भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिए गए निर्णय से प्रस्तावित है कि कंटेनरों के आयात के लिए कस्टम और शिपिंग मंत्रालय (पोत परिवहन मंत्रालय) के 12 जुलाई 2018 पत्र के आधार पर पांच प्रमुख पत्तन

ट्रस्टों को संबंधित लागत की वसूली हेतु प्रासमिक दरों का अनुकरण करने और प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव भेजने के प्रयोजन से पत्तनों को मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम खरीदने और स्थापित करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिदेशित किया गया है।

- (ii). एनएमपीटी, बोर्ड की मंजूरी के आधार पर, पत्तन में पहले से ही मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग स्थापित कर चुका है। इस मद के लिए पत्तन ने वास्तव में, 276/- रुपये प्रति कंटेनर एसओआर में पिछले सामान्य संशोधन के दौरान दर का प्रस्ताव किया था।

पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर के लिए गणन विवरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में पत्तन के एसओआर के सामान्य संशोधन में इस प्राधिकरण ने, कंटेनर स्कैनिंग शुल्क रुपये 152/- प्रति टीयूई अनुमोदित किया जैसाकि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के लिए आदेश सं.टीएएमपी/77/2018-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 में अनुमोदित किया गया और एनएमपीटी को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यथानिर्देशित, प्रासमिक दृष्टिकोण पर लागत की वसूली के लिए वीपीटी पर कंटेनर स्कैनर के लिए अपनाए गए मॉडल के अनुरूप दर निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव दायर करने की अनुमति दी।

- (iii). इस प्रकार, पत्तन ने, इस मद के लिए वर्तमान प्रस्ताव दायर किया है। मूल प्रस्ताव में, पत्तन ने कंटेनर स्कैनर शुल्क के लिए 276/- रुपये प्रति टीईयू का प्रस्ताव किया था। उपयोगकर्ता एसोसिएशन, न्यू मंगलौर पत्तन स्टीवडोर्स की एसोसिएशन द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर कि इस प्राधिकरण द्वारा वीपीटी में निर्धारित दर की तुलना में प्रस्तावित दर अधिक है, एनएमपीटी ने अपने प्रस्ताव पर फिर से गौर किया है। पत्तन ने 20 मार्च 2020 को एक संशोधित प्रस्ताव दायर किया है जिसमें पत्तन ने कंटेनर स्कैनिंग शुल्क के लिए वीपीटी द्वारा अपनाई गई प्रत्यागम की कम दर के दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए मुख्य रूप से आरओसीई दर को 16% से घटाकर 7% प्रति टीईयू करते हुए रुपये 211/- प्रति टीईयू का प्रस्ताव किया है।

- (iv). प्रशुल्क पॉलिसी, 2018 के क्लॉज 7.6.1 के अनुसार, जब पत्तन के एसओआर में एक नई सेवा / कार्गो / उपकरण / सुविधा के लिए प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित महापत्तन न्यास किसी भी महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपकरण/सेवा के लिए निर्धारित किये गए प्रशुल्क और निष्पादन मानक यदि कोई है को अपना सकता है, या 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का पालन करते हुए इष्टतम क्षमता के संदर्भ में उक्त नए कार्गो / उपकरण / सेवा / सुविधा के लिए सेवा / सुविधा / उपकरण की रेटेड क्षमता या तकनीकी विनिर्देश के आधार पर प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए एक प्रस्ताव दायर कर सकता है।

दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है यदि उपरोक्त निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण उपलब्ध नहीं है, तो पर्याप्त कारण बताने के बाद महापत्तन न्यास लागत और 16% प्रत्यागम फॉर्मूला के आधार पर दरों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण ने मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर के लिए वीपीटी में रु. 152 / - प्रति टीयूई और केओपीटी के लिए रु. 215 / - प्रति टीयूई पर प्रशुल्क को मंजूरी दी है। ऐसा होने पर, एनएमपीटी द्वारा बनाया गया बिंदु, कि किसी भी महापत्तन न्यास में कंटेनर स्कैनर के लिए दर निर्धारित नहीं है, सही स्थिति नहीं है।

तथापि, यह मानना होगा कि एनएमपीटी में कंटेनर स्कैनर का स्थापन कार्य पूरा हो चुका है ; खरीद और स्थापना पर वास्तविक व्यय विवरण उपलब्ध है। एनएमपीटी द्वारा सिविल और उपकरण की लागत वीपीटी से अधिक है, इसलिए एनएमपीटी के लिए वीपीटी के लिए निर्धारित 152/- रुपये प्रति टीईयू दर को अपनाना उचित नहीं है।

इस तरह की सुविधा के लिए अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित किसी भी विशिष्ट मानदंड/मानक के अभाव में, यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा एनएमपीटी पर अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर

मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर के संचालन के लिए अपेक्षित प्रशुल्क को तय करने के लिए आगे की कार्रवाई करता है। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि वीपीटी पर कंटेनर स्कैनर शुल्क के निर्धारण के लिए इसी तरह के दृष्टिकोण का पालन किया गया था। ऐसा होने के नाते, यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा दायर किए गए प्रस्ताव पर विचार करता है, जिसमें कंटेनर स्कैनर शुल्क के लिए दरों की मंजूरी की का अनुरोध किया गया है।

(v). **इष्टतम क्षमता / निर्धारित क्षमता :**

मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर का सीधे एक ही दिशा की ओर ऑपरेशन के माध्यम से गम्य निर्धारित आकलित निष्पादन 40 फीट लंबे 20 कंटेनर प्रति घंटा है। इस सुविधा के लिए उपलब्ध किसी भी विशिष्ट मानदंड के अभाव में, एनएमपीटी द्वारा निर्धारित मूल्यांकन आकलित - निष्पादन विश्वस्नीय माना जाता है।

वर्ष 2008 के अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, इष्टतम क्षमता कुल क्षमता का 70% है। वर्ष में 365 दिनों के लिए रेटेड निष्पादन 70 % के उक्त मानदंड को लागू करते हुए, एनएमपीटी ने रेटेड क्षमता का आकलन 2,45,280 प्रति टीईयू प्रति वर्ष $(0.4 \times 365 \text{ दिन} \times 24 \text{ घंटे} \times 20 \text{ नग} \times 2 \text{ टीईयू} = 2,45,280)$ किया है। एनएमपीटी द्वारा मूल्यांकित रेटेड क्षमता 2,45,280 टीईयू प्रतिवर्ष मान्य है। एनएमपीटी द्वारा मूल्यांकित क्षमता, वही है जो वीपीटी द्वारा उसके कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए मूल्यांकित की गई है।

(vi). **पूँजीगत लागत :**

पत्तन ने पत्तन द्वारा की गई वास्तविक पूँजी लागत के अनुसार पूँजीगत लागत 20.34 करोड़ रुपये मानी है। पत्तन ने एक्स-रे स्कैनर्स की लागत के लिए रु. 12.88 करोड़ की पूँजीगत लागत, सिविल कार्यों के लिए रु. 3.15 करोड़, रोशनी और एल 3 स्विच सहित विद्युत की आपूर्ति के लिए रु. 0.52 करोड़ और स्थापना लागत के लिए रु. 3.79 करोड़ की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। पत्तन ने कहा है कि प्रशुल्क निर्धारण में मानी जाने वाला पूँजीगत लागत अनुमान जीएसटी घटक को छोड़कर है क्योंकि सिविल कार्यों की पूँजीगत लागत को छोड़कर, जीएसटी के लिए क्रेडिट लिया जाएगा। एनएमपीटी ने सिविल और उपकरण लागत की पूँजी लागत के 5% पर विविध पूँजी लागत के लिए मानक लागू नहीं किया है, क्योंकि इसने वास्तविक कार्य आदेश के मूल्य के अनुसार पूँजी लागत पर विचार किया है। एनएमपीटी द्वारा मानी जाने वाली पूँजी लागत वास्तविक पर आधारित है। इसलिए मान्य है।

(vii). **प्रचालन लागत :**

(क). **विद्युत लागत:**

पत्तन ने विद्युत की खपत के आकलन के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई विद्युत वितरण शीट के आधार पर 80 यूनिट प्रति घंटा का विस्तृत आधार और गणन प्रस्तुत किया है। पत्तन द्वारा विचारित रु. 9.06 पर विद्युत की यूनिट दर विश्वस्नीय है। इस प्रकार, पत्तन द्वारा प्रस्तुत गणन के आधार पर, विद्युत लागत 44.44 लाख रुपये (यानी प्रति घंटे 80 यूनिट/40 टीईयू प्रति घंटा = विद्युत की खपत 2 यूनिट प्रति टीईयू $\times 245280$ इष्टतम क्षमता $\times 9.06 = 44,44,474$ रुपये) जैसा कि पत्तन द्वारा आकलित किया गया है।

(ख). **मरम्मत और अनुरक्षण लागत:**

(i). **सिविल परिसंपत्तियों पर :**

एनएमपीटी ने संशोधित लागत विवरण में, सिविल परिसंपत्ति पर मरम्मत और रखरखाव की लागत सिविल परिसंपत्तियों पर 1% की दर से गणित की है जो कि 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार है। ऐसा होने के कारण, एनएमपीटी द्वारा प्रति वर्ष 3.15 लाख रुपये (अनुमानित 3,14,92,627 x 1%) एनएमपीटी द्वारा अनुमानित सिविल परिसंपत्तियों पर मरम्मत और रखरखाव लागत पर विचार किया जाता है। यह बीपीटी और केओपीटी पर स्कैनर शुल्क तय करने के मामले में दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(ii). विद्युत उपकरणों पर :

इसी तरह, एनएमपीटी ने संशोधित लागत विवरण में, विद्युत कार्यों की पूंजीगत लागत का 2% विद्युतीय मरम्मत लागत और रखरखाव लागत 5172277 रुपये की लागत पर प्रति वर्ष 1.03 लाख रुपये माना है, अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008, में निर्धारित मानदंडों के अनुसार है, जिसे माना जाता है। यह स्कैनर शुल्क तय करने के मामले में बीपीटी और केओपीटी पर अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(iii). एक्स-रे स्कैनर पर वार्षिक अनुरक्षण शुल्क (एएमसी)

सिविल और विद्युत उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव की लागत में कंटेनर स्कैनर की पूंजी लागत उल्लेखित नहीं है। एनएमपीटी ने कहा है कि एक्स-रे कंटेनर स्कैनर का कार्य जीवन काल 15 वर्ष है। मैसर्स स्मिथ्स डिटेक्शन (एशिया पैसिफिक) प्राइवेट लिमिटेड से एक्स-रे स्कैनर की खरीद करते समय, एनएमपीटी ने एक्स-रे स्कैनर आपूर्तिकर्ता के साथ 8 वर्ष की अवधि के लिए 10.15 करोड़ रुपये वार्षिक रखरखाव सहित अनुबंध किया है। प्रस्तावित दर के लिए, एनएमपीटी ने रखरखाव लागत 1,26,92,347/- रुपये प्रति वर्ष (यानी 10,15,38,775/8 वर्ष) कुल रखरखाव लागत रु.10,15,38,775/- को 8 साल की अवधि में विस्तारित(विभाजित) करते हुए माना है।

चूंकि एएमसी दर 8 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधित दर के अनुसार है और यह भी मानते हुए कि प्रस्तावित दर एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और उपयोगकर्ताओं में से किसी ने भी इस अकालन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, इस मद का आकलन पत्तन द्वारा प्रस्तावित माना जाता है क्योंकि यह एक अनुबंधित दर है। यह कंटेनर स्कैनर चार्ज के लिए प्रस्तावित दर के लिए बीपीटी और केओपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है और इन दोनों पत्तनों में भी मंजूरी देते हुए इस प्राधिकरण द्वारा इसी दृष्टिकोण पर विचार किया गया था।

(ग) बीमा लागत सकल अचल संपत्ति का 1% आकलित किया गया है, जो दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है

(घ) मूल्यहास :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 में सिविल परिसंपत्तियों और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कलपुर्जों के लिए अलग से मूल्यहास निर्धारित करने का उल्लेख किया गया है।

एनएमपीटी ने प्रस्तावित सुविधा की कार्य जीवन-काल अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित जीवन मानक के अनुसार 15 वर्ष मानी है। तदनुसार, एनएमपीटी ने विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे कि सिविल लागत, स्कैनर लागत और विद्युत के घटकों के व्यक्तिगत कार्य-

जीवन को अलग किए बिना, स्कैनिंग सिस्टम के जीवन को 15 वर्ष मानते हुए मूल्य 135.59 लाख रुपये (यानी 20.34 करोड़ / 15 वर्ष) के मूल्यहास का आकलन किया है।

चूँकि यह सुविधा 15 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में होगी और पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर 15 वर्ष की अवधि के लिए है, 15 वर्षों में संपूर्ण सुविधा के लिए मूल्यहास पर विचार करने के लिए पत्तन द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण उचित पाया जाता है और इसीलिए स्वीकार किया जाता है। केओपीटी के मामले में भी, पत्तन ने कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम से संबंधित संपत्ति के पूरे ब्लॉक के लिए 10 साल के लिए सुविधा के अनुमानित जीवन के साथ समानांतर (कॉटर्मिनस) मूल्यहास को अपनाया है

(ड) जनशक्ति लागत :

एनएमपीटी ने जनशक्ति लागत के लिए गणन प्रस्तुत किया है जो मान्य है। केओपीटी के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।

(च) नियोजित पूंजी पर प्रत्यागम (आरओसीई):

अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खण्ड 2.4. के अनुसार आरओसीई की गणना @ 16% की दर से की जानी चाहिए है। पोत परिवहन मंत्रालय ने संबंधित महापत्तन न्यास को कंटेनर स्कैनर की लागत वसूली हेतु स्कैनर प्रशुल्क गणन करने के लिए प्रासमिक प्रशुल्क अपनाने के लिए कहा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एनएमपीटी ने 15 साल से अधिक की परिसंपत्ति के लिए 6 फरवरी 2020 के अपने मूल प्रस्ताव में, औसत लिखित मूल्य पर 16% की दर से आरओसीई का आकलन किया गया था। संशोधित प्रस्ताव में, एनएमपीएस द्वारा की गई आपत्ति के मद्देनजर, पत्तन ने प्रत्यागम की दर घटा कर @ 7% कर दी है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वीपीटी ने 15 वर्षों के लिए सुविधा की पूंजीगत लागत को पुनर्प्राप्त करने के लिए पत्तन को सक्षम बनाने के लिए प्रत्यागम की दर 16% के बजाय 6% की घटी हुई दर की मांग की थी।

इस प्राधिकरण ने वीपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी थी। एनएमपीटी ने 7% प्रत्यागम की मांग की है जो वीपीटी द्वारा अपेक्षित प्रत्यागम की घटी हुई दर के आसपास है।

चूँकि पत्तन के कम आरओसीई पर विचार करने के संशोधित प्रस्ताव का उद्देश्य उपयोगकर्ता संघ की आपत्ति को दूर करना है और यह कि पत्तन द्वारा आकलित स्तर पर यह आरओसीई एनएमपीटी द्वारा कम की गई दर आरओसीई वीपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है जो इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय को देखते हुए अनुमोदित की गई थी, पोत परिवहन मंत्रालय उपकरण की लागत को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रासमिक आधार पर प्रशुल्क है, प्राधिकरण को मान्य है।

(viii). एनएमपीटी द्वारा विचारित कुल परिचालन लागत 37,524,021 में की गई मामूली अंकगणितीय त्रुटि को 37,524,022 रुपये के रूप में सही कर दिया गया है। परिणामतः कुल वार्षिक लागत वसूली भी रु 51,761,300 (रुपये 37,524,022 + आरओसीई 14,237,278 रुपये एनएमपीटी द्वारा मान्य है) के तौर पर अंकगणितीय सटीकता के लिए थोड़ा सही कर दी गई है। मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन हेतु शुल्क निर्धारण के लिए लागत विवरण **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(ix). 2,45,280 टीईयू प्रति वर्ष की इष्टतम प्रहस्तन क्षमता पर आकलित 5.18 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक लागत वसूली मांग को पुनर्प्राप्त करने के लिए, पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर 211 रुपये प्रति टीईयू गणित होती है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक है कि पत्तन का प्रस्ताव डीजीएफटी और सीमा शुल्क की अनिवार्य

आवश्यकता का अनुपालन करना है। इसलिए, यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित 211 रुपये प्रति टीईयू की दर को मंजूरी देने का इच्छुक है।

- (x). एनएमपीटी के एसओआर के पिछले सामान्य संशोधन में, इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत 152.00 रुपये प्रति टीईयू की प्रशुल्क दर पर स्वीकृत कंटेनर स्कैनर चार्ज से कुल अनुमानित राजस्व 15.20 लाख है (एनएमपीटी द्वारा अनुमानित 10000 कंटेनर x रुपये 152 प्रति टीईयू)। जब एनएमपीटी से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया कि पत्तन द्वारा प्रस्तावित कंटेनर स्कैनिंग मौजूदा रु. रुपये 152.00 प्रति टीईयू से रुपये 211.00 प्रति टीईयू चार्ज की संशोधित दर से रुपये 2.02 करोड़ की कमी वाले अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, तो पत्तन ने पुष्टि की है कि स्कैनर की पूंजी लागत को एआरआर गणना में शामिल नहीं किया गया था और कंटेनर स्कैनर से आय की तुलना एआरआर के साथ नहीं की जा सकती है। एनएमपीटी द्वारा स्पष्टीकरण हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी को के अनुरूप नहीं है।

कंटेनर स्कैनर चार्ज के शुल्क में वार्षिक वृद्धिकारक वृद्धि को देखते हुए रु.59.00 प्रति टीईयू (रु. 211 - रु. 152) की दर से बढ़ा हुआ वृद्धिशील राजस्व 10,000 टीईयू के लिए तत्समय एनएमपीटी द्वारा आकलित 0.59 लाख रुपये तक गणित होगा। इस प्रकार, अतिरिक्त राजस्व, पूरा न होने वाले राजस्व के अंतर के भीतर होगा और यह पिछले सामान्य संशोधन आदेश में अनुमानित 421.06 करोड़ रुपये के अनुमानित एआरआर के भीतर होगा।

- (xi). एनएमपीटी ने इस आशय का प्रस्ताव रखा है कि प्रशुल्क आयात और निर्यात के लदे हुए सभी कंटेनरों पर लागू होगा, भले ही इनकी स्कैनिंग हो या न हो।

एनएमपीटी ने कहा है कि वह प्रति वर्ष लगभग 1 लाख कंटेनरों का प्रहस्तन करता है और लदे हुए इन कंटेनरों की सं. प्रति वर्ष केवल 30,000 हैं। दर को निचले स्तर पर रखने के लिए और कुल लागत को पुनर्प्राप्त करने के लिए पत्तन को सक्षम करने के लिए, पत्तन द्वारा सभी लोड किए गए आयात/निर्यात कंटेनरों पर शुल्क लगाने की परिकल्पना की गई है। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, पत्तन का नोट यथाप्रस्तावित अनुमोदित किया जाता है। एनएमपीटी में भी प्रस्तावित दर सभी आयात/निर्यात कंटेनरों के लिए है। इसलिए, प्रस्तावित नोट अनुमोदित है।

- (xii). पत्तन ने 6 फरवरी 2020 के अपने पहले प्रस्ताव में, इस शर्त का प्रस्ताव दिया था कि कंटेनर स्कैनिंग शुल्क पत्तन द्वारा तब तक एकत्र किए जाते रहेंगे जब तक मैकेनाइज्ड कंटेनर हैंडलिंग के लिए रियायतकर्ता अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर देता है और मैकेनाइज्ड हैंडलिंग ऑपरेशन के शुरू होने के बाद, उपयोगकर्ता से शुल्क कंसेशनायर एकत्र करेगा और पत्तन को भुगतान करेगा क्योंकि कंटेनर स्कैनर की खरीद, स्थापना, कमीशन और संचालन के लिए व्यय पत्तनद्वारा किया गया है संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन ने इस नोट का प्रस्ताव नहीं किया है। उस के लिए पत्तन ने कोई कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। हालाँकि, चूंकि यह पत्तन का प्रस्ताव है, इसलिए यह प्राधिकरण पत्तन के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

- (xiii). पत्तन ने एक नोट प्रस्तावित किया है कि निर्धारित प्रशुल्क स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

यद्यपि एनएमपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव प्रशुल्क नीति, 2018 के तहत है जो वर्तमान में महापत्तन न्यासों के संबंध में लागू है, यह पुनः उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नई सेवा के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क प्रासमिक दृष्टिकोण और अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के सिद्धांतों के अनुपालन में है जो नए कार्गो / सेवा के लिए प्रशुल्क तय करने के लिए उक्त प्रशुल्क नीति के तहत उपलब्ध विकल्पों में से एक

है। अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के तहत मामले में, प्रशुल्क परियोजना अवधि के लिए है और डब्ल्यूपीआई के 60% पर स्वतः वार्षिक सूचकांक के अध्याधीन है।

चूंकि एनएमपीटी का प्रस्ताव 2008 के अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के अनुपालन में है, इसलिए दर में सूचकांकन डब्ल्यूपीआई का 60% होना चाहिए। यह इस प्राधिकरण द्वारा वीपीटी और केओपीटी में कंटेनर स्कैनर शुल्क के मामले में किए गए निर्धारण के अनुरूप है। चूंकि कंटेनर स्कैनर के लिए संशोधित दर 2020 के शुरुआती भाग में प्रासंगिक मॉडल के आधार पर तय की गई है, इसलिए जनवरी 2020 तक सूचकांकन के लिए आधार वर्ष को निर्धारित करना उचित है। पहला सूचकांकन 1 मई 2021 को होगा।

इसलिए, उल्लेख करने के लिए एक अलग नोट (iii) निर्धारित किया गया है कि निर्धारित प्रशुल्क को मुद्रास्फीति पर सूचकांकित किया जाएगा, लेकिन केवल 1 जनवरी 2020 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के अधिकतम 60% तक। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वचालित समायोजन हर साल किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमा संबंधित वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होगी।

11.1. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों, और समग्र सोच विचार के पश्चात, यह प्राधिकरण एनएमपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम के संचालन के लिए संशोधित दर 211/- प्रति टीईयू अनुमोदित करता है और एनएमपीटी की दरों में मौजूदा दरमानों में खंड 4 के तहत मौजूदा अनुसूची 4.7- कंटेनर स्कैनिंग शुल्क में निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित करता है:

“4.7. कंटेनर स्कैनिंग शुल्क

विवरण	यूनिट	दर (रूपये)
कंटेनर स्कैनिंग शुल्क	टीईयू	211

अनुसूची 4.7 से संबंधित नोट:

- (1). एनएमपीटी ने इस आशय का प्रस्ताव रखा है कि प्रशुल्क सभी आयात और निर्यात के लदे हुए कंटेनरों पर लागू होगा, भले ही इनकी स्कैनिंग की गई हो या अथवा नहीं।
- (2). निर्धारित प्रशुल्क स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन होगा 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
- (3). निर्धारित प्रशुल्क को मुद्रास्फीति पर केवल 1 जनवरी 2020 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के अधिकतम 60% तक सूचकांकित किया जाएगा। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वचालित समायोजन हर साल किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमा संबंधित वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होगी। प्रशुल्क में पहला वार्षिक सूचकांकन 1 मई 2021 को होगा।”

11.2. संशोधित दरें भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से 30 दिन की समाप्ति के बाद से प्रभावी होंगी।

11.3. एनएमपीटी को मौजूदा दरमानों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन -III/4/असा./64/2020-21]

न्यू मंगलूर पत्तन न्याय पर एक्स-रे कंटेनर के संचालन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए लागत विवरण

क्रम सं.	विवरण	एनएमपीटी के 06.02.2020 के प्रस्ताव में आकलित	एनएमपीटी द्वारा उसके दिनांक 20.03.2020 के पत्र के तहत संशोधित और प्राधिकरण द्वारा मान्य आकलन
I	इष्टतम प्रहस्तन क्षमता		
	अनुमानित कुल इष्टतम हैंडलिंग क्षमता (प्रति वर्ष टीईयू)	2,45,280	2,45,280
	(0.7 x 365 दिन x 24 घंटे x 20 नग x 2 टीईयू)		
II	पूंजी लागत		
क	एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की पूंजी लागत (जीएसटी के बिना) + सीमा शुल्क	12,88,04,440	12,88,04,440
ख	सिविल कार्य पर पूंजी लागत	3,14,92,627	3,14,92,627
ग	स्थापना लागत	3,79,20,336	3,79,20,336
घ	प्रकाश व्यवस्था सहित बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए पूंजीगत लागत	40,00,000	40,00,000
ड	एल 3 स्विच की पूंजी लागत	11,72,277	11,72,277
	कुल पूंजीगत लागत	20,33,89,680	20,33,89,680
III	परिचालन लागत		
क	बिजली की खपत 80 यूनिट प्रति घंटा x 245280 टीईयू x रु.9.06 यूनिट दर) / 40 टीईयू प्रति घंटा]	44,44,474	44,44,474
ख	सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव (सिविल परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत की दर से)	0	3,14,926
	(रु. सिविल कार्य की लागत 31492627 x सिविल कार्य का 1%)		
ग	यांत्रिक और बिजली के उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव, कलपुर्जों सहित।		
	i) जीएसटी को छोड़कर एक्स-रे कंटेनर स्कैनर का एएमसी (रु.101538775 / 8 वर्ष)	1,26,92,347	1,26,92,347
	ii) विद्युत कार्यों की मरम्मत और रखरखाव (@ पूंजीगत लागत का 2%)	0	1,03,446
	(ओ एंड एम की लागत रु. 4,000,000+ 1,172,277 = रु.51 72277 x 2%)		
घ	बीमा (@ स्थाई अचल परिसंपत्ति का 1%)	20,33,897	20,33,897

	(सकल अचल परिसंपत्ति का रु. 203389680 x 1%)		
ड	मूल्यहास (15 वर्षों का कार्य-जीवन काल अर्थात 6.67%)	1,35,59,312	1,35,59,312
च	ओवरहेड 5% की दर से (लागत एएमसी 1,26,92,347 + विद्युत शक्ति की लागत 44,44,474)	8,56,841	0
छ	जनशक्ति (18 सदस्य स्टाफ x रु.666 प्रति दिन x 365)	43,75,620	43,75,620
	कुल परिचालन लागत	3,79,62,490	3,75,24,022
IV	नियोजित पूंजी पर प्रत्यागम (आरओसीई)	2,82,03,369	1,42,37,278
		[रु. 17,62,71,056 की औसत डब्ल्यूडीवी पर 16%]	[रु. 20,33,89,680 की पूंजी लागत पर 7 प्रतिशत]
V	कुल अपेक्षित वार्षिक लागत वसूली (III + IV)	6,61,65,859	5,17,61,300
VI	प्रशुल्क प्रति टीईयू (V/II)	270	211

एनएमपीटी द्वारा विचारित रु.37,524,021 कुल परिचालन लागत में मामूली अंकगणितीय त्रुटि को रु.37,524,022 के तौर पर सही किया गया है। परिणामतः, कुल वार्षिक लागत वसूली को भी अंकगणितीय सटीकता के लिए थोड़ा सही किया गया है।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th June 2020

No. TAMP/12/2020-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanner System at NMPT as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/12/2020-NMPT

New Mangalore Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 1st day of June 2020)

This case relates to the proposal dated 06 February 2020 received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanner System at NMPT.

2. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter dated 12 July 2018 has, referring to the decision taken by the IPA regarding installation of Mobile X-ray Container Scanning at port, communicated to the five Major Port Trusts viz. New Mangalore Port Trust (NMPT), Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Paradip Port Trust (PPT), Visakhapatnam Port Trust (VPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) to follow Normative rates for recovery of cost and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff.

3.1. In this regard, while submitting the general revision proposal, the NMPT had proposed a new tariff item viz. Container scanning charges under Schedule 4.7 at ₹276/- per container.

3.2. This Authority had passed an Order No.TAMP/78/2018-NMPT dated 24 July 2019 disposing of the proposal received from the NMPT for general revision of its Scale of Rates (SOR). The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority have been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 21 August 2019 vide Gazette No.294. Subsequently, detailed Order has been notified on 03 September 2019 vide Gazette No.307. The said Order prescribes a tariff validity period till 20 September 2022.

3.3. In the revised SOR, this Authority has approved the following rate as approved in the Order No.TAMP/77/2018-VPT dated 29 March 2019 for VPT as the NMPT had not furnished working for arriving at the proposed rate following Normative approach for recovery of cost as directed by the MOS:

4.7. Container Scanning Charges:

<i>Sl. No.</i>	<i>Description</i>	<i>Rate per TEU (in ₹)</i>
<i>1</i>	<i>Container Scanning Charges</i>	<i>152.00</i>

3.4. This Authority in the said detailed Order dated 24 July 2019 at para no.13(xxii) has stated that the port may, if it considers necessary, file a proposal seeking rate based on Normative approach for recovery of cost as directed by the MOS and in line with the model adopted for fixation of rate for container scanner at VPT.

4.1. In this backdrop, the NMPT has come up with a proposal in reference. The main points made by NMPT in its covering letter dated 6 February 2020 are given below:

- (i). Port with the approval of Board of Trustees vide Resolution No.97/2017-18 procured one no. of Mobile Container Scanner.
- (ii). MOS vide its letter No.PD-14033/113/2015-PD.V dated 12 July 2018 clarified that Port will have to follow normative rates for cost recovery and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff. The proposal is to be communicated to TAMP after getting approval of Board of Trustees.
- (iii). NMPT has computed the charges at ₹276/- per container on normative basis and proposed that rate in general revision of SOR to TAMP on 5 March 2019. TAMP notified the rate of ₹152/- per TEU vide Order dated 24 July 2019, considering the approved charges for the same service for VPT by following the normative approach in absence of working details of NMPT of ₹276/ TEU. Further, TAMP advised the port if it considers necessary, file a proposal seeking rate based on normative approach for recovery of cost as directed by MOS.
- (iv). The installation of container scanner has been completed and the actual expenditure on Procurement and Installation is available. It is observed that the cost of Civil and Equipment cost incurred by NMPT are higher than that of VPT. Therefore, it is proposed to revise the rates based on the actual expenditure incurred by NMPT.
- (v). Accordingly, the revised rate of ₹270/- per TEU is computed on normative basis as directed by MOS. The proposed rate of ₹270/- per TEU for Exim Container was placed before the Board of Trustees and Board vide Resolution No.128/2019-20 has approved the rate. The details of calculation is furnished. The approval of Board of Trustees of NMPT is furnished.
- (vi). The NMPT has, therefore, requested to consider the proposal and revise the charges.

4.2. The details regarding the calculation for arriving at ₹270/ per TEU charges submitted by NMPT are given below:

(i). Capital Cost:

I.	Capital cost of X-Ray Scanner (Excl. GST) + Customs duty (\$16,64,788 x ₹71.5 (Exchange rate) + 97,72,097.50)	12,88,04,440
II.	Capital cost of civil works (As per actual expenditure)	3,14,92,627
III.	Installation cost	3,79,20,336
IV.	Capital cost for providing power supply including illumination + fiber + CCTV network	40,00,000
V.	Capital cost for L3 switch (As per work order)	11,72,277
	Total capital cost	20,33,89,680

Notes:

1. No provision is made for miscellaneous cost of 5% on capital cost of civil and equipment cost as the costs are as per the actual work order value.

2. The cost items of the Price Schedule of items & schedule of quantities communicated by IPA is inclusive of GST. However, the same is excluded since GST will be taken credit except on capital cost of civil works.

(ii). **Rated capacity:**

The rated capacity of the X-ray container scanner is 20 numbers of 40 feet containers per hour (based on one way straight through operation) as per scope of work.

Therefore, the capacity per annum works out as follows:

$$0.7 \times 365 \text{ days} \times 24 \text{ hours} \times 20 \text{ numbers} \times 2 \text{ TEUs} = 2,45,280 \text{ TEUs per annum.}$$

[The optimal capacity assessed is same as VPT]

(iii). **Operation and Maintenance cost:**

(a). (i). Power:

An amount of ₹44,44,474/- per annum is estimated towards cost of power consumption for operation of the facility.

$$(\text{Units consumed per hour} \times \text{Optimum capacity} \times \text{Unit rate}) / 40 \text{ TEUs per hour} = (80 \text{ units} \times 245280 \times 9.06) / 40 = ₹44,44,474$$

As per the Annex-4 of Electrical distribution data sheet provided by the supplier M/s. Smiths Detection power cost is as below:

Sl. No.	Description	Power required in KVA	Power Consumption in KWH
1	Power Requirement of MXCS per hour	45	45 units per hour
2	Power Requirement of office space and networking per hour	35	35 units per hour
	TOTAL		80 units per hour

Electrical power charges per annum = (Units consumed per Hour x Optimum capacity x Unit rate) / 40 TEUs per hour.

$$\text{Electrical power charges per annum is ₹} = (80 \text{ units} \times 245280 \times 9.06) / 40 = ₹44,44,474 \text{ as given in (i) above.}$$

(ii). Fuel:

The scanner has diesel engine as a back up and the consumption is very minimum hence considered as NIL.

(b). Repair and Maintenance:

Overheads considered as 5% of the AMC and cost of electrical power i.e. (₹1,26,92,347 cost of AMC + ₹44,44,474 Cost of Electrical power) = ₹8,56,841

(c). Insurance:

The value of gross fixed assets is ₹20,33,89,680/-. Insurance @ 1% on gross fixed assets as per Norms works out to ₹20,33,897/- per annum.

(d). Depreciation:

The categorisation of the facility is considered under “IV. Plant and Machinery (a) Plant and Machinery other than continuous process plant not covered under specific industries” of the Companies Act for which specified life period is 15 years. Depreciation is calculated accordingly which works out to ₹1,35,59,312/- per annum.

(e). License fee and Other Expenses:

No provision for license fee and other expenses is made since the facility is being installed at NMPT's cost in its premises to meet the mandatory requirement of DGFT and Customs. The Customs has made it clear that the operators and image analysts provision will be made by the customs but it is not clear as to who will provide the non-technical staff like

data entry staff, marshals and guards. In this regard, a provision is made in the proposal. The details are as below:

Sl. No.	Category of staff	No. of staff required	Salary per day as per CLCs order dated 01/10/2019 (Copy attached in Annex-3) for semi skilled category in `
1	Data entry staff	4	666
2	Traffic Marshals	7	666
3	Guards	7	666

18 No. staff x 666/ day x 365 = ₹43,75,620

(iv). **ROCE:**

As per TAMP norms, 16% ROCE is allowed. However, Ministry of Shipping letter No.PD-14033/113/2015-PD.V dated 12.7.2018 states that it was decided that port will have to follow Normative rates for cost recovery and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff. The life of the equipment is 15 years.

	Year 1	Year 2	Year 3
Capital Cost	20,33,89,680	18,98,30,368	17,62,71,056
Depreciation	1,35,59,312	1,35,59,312	1,35,59,312
WDV	18,98,30,368	17,62,71,056	16,27,11,744
Average WDV	17,62,71,056		
ROCE @ 16% of Avg. WDV	2,82,03,368		

[In case of VPT and KOPT, ROCE is computed on Gross block and not at WDV as tariff fixed is applicable for 15 years subject to indexation. VPT considered 6.67% return to recover capex over 15 year life of equipment whilst KOPT sought 16% ROCE.]

(v). **Annual Revenue Requirement:**

Sr. No.	Description	Amount (₹)
1.	Power consumption	44,44,474
2.	Overheads	8,56,841
3.	Insurance	20,33,897
4.	Depreciation	1,35,59,312
5.	ROCE @16%	2,82,03,369
6.	AMC Cost	1,26,92,347
7.	Manpower	43,75,620
	Total	6,61,65,859

(vi). **Proposed Tariff:**

Therefore, tariff per TEU = ₹6,61,65,859 ÷ 2,45,280 = ₹270 per TEU.

5.1. The NMPT vide its letter dated 27 February 2020 has also proposed the following conditionalities governing the proposed levy:

- The tariff prescribed for container scanning is applicable to all import and export laden containers whether it is scanned or not.
- The container scanning charges shall be collected by the port till concessionaire for Mechanized Container Handling commences its operation. After commencement of mechanized handling operation, the concessionaire shall collect the scanning charges from user and pay to the port since the expenditure is incurred by the port for procurement, installation, commissioning and operation of container scanner.
- The tariff prescribed will be valid for a period of 15 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

5.2. Subsequently, while acknowledging the NMPT proposal dated 6 February 2020 and email dated 26 February 2020, NMPT was requested vide our letter dated 27 February 2020 to estimate the additional revenue likely to accrue at the proposed rate for container scanner charges at ₹276/- per TEU as against ₹152/- per TEU approved in the

existing SOR and confirm that it shall be within the revenue gap left uncovered to the tune of `2.02 crores so as to ensure that the total revenue estimates is within the total estimated ARR of ₹421.06 crores in the last general revision SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/78/2018-NMPT dated 24 July 2019.

5.3. In response, NMPT vide its e-mail dated 5 March 2020 has stated that the current revised proposed rate per TEU is ₹270/- as against ₹152 per TEU, as approved in the existing SOR. The Capital cost of container scanner was not considered in the estimated ARR of ₹421.06 crores in the General Revision of SOR for cost computation. The income arrived from the container scanner cannot be compared with ARR.

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal dated 6 February 2020 was forwarded to the concerned users/user associations and users (as suggested by NMPT) seeking their comments. We have received comments only from Association of New Mangalore Ports Stevedores (ANMPS) vide its letter dated 07 March 2020 which was forwarded to NMPT as feedback information. The NMPT has not responded.

7. A joint hearing on the case in reference was held on 6 March 2020 at the NMPT premises. The NMPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the NMPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

8.1. During the joint hearing, the users have objected the tariff of ₹270 per TEU for Container Scanner Charges proposed by the port. The NMPT has agreed to look into the objection of Trade and revert back to TAMP. The NMPT was, therefore, requested vide our letter dated 09 March 2020 to look into the objection of users and revert back to TAMP.

8.2. In response to this, the NMPT, vide its letter dated 20 March 2020, has considered the views of port users and the representation of Association of New Mangalore Port Stevedores (ANMPS) and proposed to consider 7% return on capital employed instead of 16% ROCE. The tariff proposed by NMPT in the original proposal has been revised downwards from ₹270/- per TEU to ₹211/- per TEU. The port has furnished revised calculation. The main modifications done by the NMPT in the revised calculation are given below:

- (a). In the original proposal, the NMPT had considered overheads at 5% of the AMC and cost of electrical power. In the revised calculation, the NMPT has considered repairs and Maintenance at 1% of the capital cost towards civil work, 2% of the capital cost for electrical equipment and the AMC cost is spread over eight years.
- (b). ROCE is considered at 7% of the gross capital cost as against 16% return estimated in the original proposal.
- (c). Summary of the revised calculation as furnished by NMPT is as follows:

Sr. No.	Particulars	Estimates (in ₹)
I	<u>Optimal handling capacity</u>	
	Total Optimal handling capacity say (TEUs per annum) [As considered in the original proposal]	2,45,280
	(0.7 x 365 days x 24 Hours x 20 numbers x 2 TEUs)	
II	<u>Capital Cost (as considered in the original proposal (break up furnished earlier hence not reiterated)</u>	20,33,89,680
III	<u>Operating Cost</u>	
a.	Power consumption [(80 units per hour x 245280 no.of containers x ₹9.06 unit rate) / 40 TEUs per hour]	44,44,474
b.	Repair and Maintenance of Civil assets (@ 1% of Civil assets) (₹31492627 x 1%)	3,14,926
c.	Repair and Maintenance of mechanical and electrical equipment including spares	
	i). AMC of X-Ray Container Scanner excluding GST (₹101538775 / 8 years)	1,26,92,347
	ii). Repair and Maintenance of electrical works (@2% of Capital Cost)	1,03,446

	(₹5172277 x 2%)	
d.	Insurance (@1% of gross fixed assets) (₹20,33,89,680 x 1%)	20,33,897
e.	Depreciation (Life of 15 Years i.e. 6.67%) {₹203389680 /15 years}	1,35,59,312
f.	Manpower (18 Nos. staff x ₹666 per day x 365)	43,75,620
	Total Operating Cost	3,75,24,021
IV	Return on Capital Employed (ROCE)	
	7% on Gross Capital Cost of ₹20.34 crores)	1,42,37,278
V	Total Annual cost recovery Requirement (III+ IV)	5,17,61,299
VI	Tariff per TEU (V / I)	211

(d). The NMPT has proposed the following two conditionalities as proposed at (i) and (iii) earlier. The earlier condition no.(ii) is not proposed in the revised proposal.

- (i). The tariff prescribed for container scanning is applicable to all import and export laden containers whether it is scanned or not.
- (ii). The tariff prescribed will be valid for a period of 15 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

10. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal filed by the New Mangalore Port Trust (NMPT) is for fixation of tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanner System at NMPT. The proposal flows from the decision taken in the Governing Body Meeting of Indian Ports Association (IPA) that the Ports should procure and install Mobile X-Ray Container Scanning Systems as mandated by the Directorate General for Foreign Trade (DGFT) and Customs for import of containers and based on the Ministry of Shipping (MOS) letter dated 12 July 2018 to the concerned five Major Port Trusts to follow Normative rates for recovery of cost and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff.
- (ii). The NMPT, based on the approval of the Board, has already installed the Mobile X-Ray Container Scanning in the port. In fact, the port had proposed rate for this item during the last general revision of the SOR at ₹276/- per container. In the absence of the port furnishing the working for arriving at the proposed rate, this Authority in the general revision of the SOR of the port approved the Container Scanning Charges at ₹152 per TEU as approved in the Order No.TAMP/77/2018-VPT dated 29 March 2019 for Visakhapatnam Port Trust (VPT) and allowed NMPT to file a proposal on Normative approach for recovery of cost as directed by the MOS and in line with the model adopted for fixation of rate for container scanner at VPT.
- (iii). The Port has, thus, filed the current proposal seeking rate for this item. In the original proposal, the port had proposed rate for container scanner charges at ₹276/- per TEU. In view of objection raised by the user association viz., Association of New Mangalore Port Stevedores that the proposed rate is high compared to the rate prescribed by this Authority in VPT, the NMPT has re-looked at its proposal. The port has filed a revised proposal dated 20 March 2020 wherein the port has proposed reduced rate of ₹211 per TEU by mainly reducing the ROCE from 16% to 7% following the approach of reduced rate of return adopted by the VPT for container Scanner charges.
- (iv). As per Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018, when a tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of the port, the concerned Major Port Trust can either adopt the tariff and performance standards, if any, fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, or can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/ facility with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment.

The Guideline further stipulates that if determination of tariff based on the above prescribed options is not available, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on cost plus 16% return formula.

In this regard, it is relevant here to mention that this Authority has approved tariff for Mobile X-ray Container Scanner at ₹152/- per TEU at VPT and ₹215/- per TEU at KOPT. That being so, the point made by the NMPT, that the rates for container scanner are not prescribed in any of the Major Port Trusts is not the correct position.

However, it has to be recognized that installation of container scanner has been completed at NMPT; the actual expenditure on Procurement and Installation is available. Since the cost of Civil and Equipment cost incurred by NMPT is higher than that of VPT, it is not appropriate for NMPT to adopt the rate of ₹152/- per TEU fixed for VPT.

In the absence of any specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines for this kind of facility, this Authority proceeds to fix the tariff sought by the NMPT for operation of Mobile X-Ray Container Scanner based on the approach adopted by the NMPT. It is relevant here to state that similar approach was followed for fixation of container scanner charges at VPT. That being so, this Authority considers the proposal filed by the NMPT seeking approval of rates for container scanner charges.

(v). **Optimal Capacity/ Rated Capacity:**

The rated productivity of the Mobile X-ray container scanner is 20 containers of 40 feet per hour based on one way straight through operation. In the absence of any specific norm available for this facility, the rated productivity assessed by the NMPT is relied upon.

As per the norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008, optimal capacity is 70% of the total capacity. Applying the said norm of 70% on the rated productivity for 365 days in a year, the NMPT has assessed the rated capacity at 2,45,280 TEUs per annum (0.7 x 365 days x 24 hours x 20 numbers x 2 TEUs=2,45,280 TEUs). The rated capacity is considered as 2,45,280 TEUs per annum as assessed by the NMPT. The rated capacity assessed by NMPT is same as assessed by the VPT for its container scanning system.

(vi). **Capital Cost:**

The port has considered the capital cost at ₹20.34 crores as per actual capital cost incurred by the port. The port has furnished the break up of the capital cost comprising of ₹12.88 crores towards cost of X-Ray Scanners, ₹3.15 crores towards Civil works, ₹0.52 crores towards power supply including illumination & L3 switch and ₹3.79 crores towards installation cost. The port has stated that capital cost estimation considered in tariff fixation is excluding the GST component since credit for GST will be taken except on capital cost of civil works. The NMPT has not applied the norm for miscellaneous capital cost at 5% of capital cost of civil and equipment cost, as it has considered capital cost as per the actual work order value. The capital cost considered by the NMPT is based on the actuals. Therefore, considered.

(vii). **Operating costs:**

(a). Power Cost:

The port has furnished detailed basis and working for estimation of power consumption at 80 units per hour reportedly based on the electrical distribution sheet provided by the supplier. The unit rate of electricity at ₹9.06 considered by the port is relied upon. Thus, based on the workings furnished by the port, the power cost at ₹44.44 lakhs (i.e. 80 units per hour/ 40 TEUs per hour = power consumption of 2 units per TEU x 245280 optimal capacity x ₹9.06 = ₹44,44,474) as estimated by the port is considered.

(b). Repairs and Maintenance Cost:

(i). On Civil Assets:

The NMPT has, in the revised cost statement, considered repairs and maintenance cost on civil assets at 1% of civil assets which is as per the norm prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008. That being so, the Repair and Maintenance cost on civil assets estimated by NMPT at ₹3.15 lakhs per annum (₹3,14,92,627 * 1%) is considered. This is in line with the approach followed in case of fixing the scanner charges at VPT and KOPT.

(ii). On Electrical Equipment:

Similarly, the NMPT has, in the revised cost statement, considered the repairs and maintenance cost of electrical works at 2% of the capital cost of electric

installation cost of ₹5172277 at ₹1.03 lakhs per annum following norms prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008, which is considered. This is in line with the approach followed in case of fixing the scanner charges at VPT and KOPT.

(iii). Annual Maintenance Charges (AMC) on X-Ray Scanner:

The repairs and maintenance cost of civil and electrical equipment is not captured in the capital cost of the Container Scanner. The NMPT has stated that the life of X-Ray Container Scanner is 15 years. While procuring X-Ray Scanner from M/s. Smiths Detection (Asia Pacific) Pvt. Ltd., the NMPT has also contracted with the supplier for annual maintenance of the Scanner for 8 years period at ₹10.15 crores. For arriving at the proposed rate, the NMPT has considered maintenance cost at ₹1,26,92,347/- per annum (i.e. ₹10,15,38,775/ 8 years) by spreading the total maintenance cost of ₹10,15,38,775/- over a period of 8 years.

Since the AMC rate is as per the contracted rate for a period of 8 years and also recognizing that the proposed rate is approved by the Board of Trustees of the NMPT and none of the users have raised any objection on this estimate, the estimate of this item is considered as proposed by the port as it is a contracted rate. This is in line with the approach followed by the VPT and KOPT for proposing rate for container scanner charges and the same has been considered by this Authority while approving the rate in these two ports.

(c). Insurance cost is estimated at 1% of the gross fixed assets, which is in line with the norms prescribed in the guidelines.

(d). Depreciation:

The upfront tariff guidelines, 2008 prescribes to arrive depreciation for Civil assets and Mechanical and electric components separately as per the Companies Act, 2013.

The NMPT has considered the life period of the proposed facility as 15 year as per the life norm prescribed in the Companies Act, 2013. Accordingly, the NMPT has estimated depreciation cost at ₹135.59 lakhs (i.e. ₹20.34 crores/ 15 years) by considering the life of the scanning system as 15 years without distinguishing the individual life of different assets viz. civil costs, scanner cost and electric components cost separately.

Since the facility itself will be in operation for a period of 15 years and the rate proposed by the port is for 15 years period, the approach adopted by the port to consider depreciation for the entire facility at 15 years is found appropriate and hence is accepted. In the case of the KOPT as well, the port has adopted the depreciation for the entire block of assets related to container scanning system coterminous with the estimated life of the facility for 10 years.

(e). Manpower cost:

The NMPT has furnished working for manpower cost which is considered. This approach was also followed in the case of KOPT.

(f). Return on Capital Employed (ROCE):

Clause 2.4. of the upfront tariff Guidelines of 2008 requires to compute ROCE @ 16%. The MOS has communicated the concerned Major Port Trusts to arrive at tariff for X-Ray Scanner for cost recovery of Container Scanner. As stated earlier, the NMPT had, in its original proposal dated 6 February 2020, estimated ROCE at 16% on the average Written Down Value of assets over 15 years. In the revised proposal, in view of the objection raised by ANMPS, the port has sought reduced rate of return @ 7%. It is relevant here to state that the VPT had also sought reduced rate of return of 6% instead of 16% to enable the port to recover the capital cost of the facility over 15 years. This Authority had approved the approach adopted by the VPT. The NMPT has sought 7% return which is closer to the reduced rate of return sought by the VPT.

Since the revised proposal of the port of considering reduced ROCE is to cater to the objection of user association and recognizing that the reduced ROCE by the NMPT is in line with the approach adopted by the VPT which was approved by this Authority in view of the decision of the MOS to have tariff on normative basis to recover the cost of the equipment, this Authority considers the ROCE at the level estimated by the port.

(viii). The slight arithmetical error in the total operating cost considered by NMPT at ₹37,524,021 is corrected as ₹37,524,022. Consequently, the total Annual cost recovery also stands slightly

corrected for arithmetical accuracy at ₹51,761,300 (₹37,524,022 + ROCE ₹14,237,278 as considered by NMPT). The cost statement for fixing tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanning System is attached as **Annex**.

- (ix). In order to recover the total annual cost recovery requirement estimated at ₹5.18 crores over the optimal handling capacity of 2,45,280 TEUs per annum, the rate works out at ₹211 per TEU as proposed by the port. It is relevant here to state that the proposal of the port is to comply with the mandatory requirement of DGFT and Customs. Therefore, this Authority is inclined to approve the rate of ₹211 per TEU as proposed by the NMPT.
- (x). In the last general revision of the SOR of the NMPT, the total revenue estimated from the container scanner charge approved by this Authority at the approved tariff of ₹152.00 per TEU is ₹15.20 lakhs (i.e. 10000 containers as estimated by the NMPT x ₹152 per TEU). When requested NMPT to confirm that the additional revenue likely to accrue from revised rate for container scanning charges now proposed by the port i.e. from existing ₹152.00 per TEU to ₹211.00 per TEU shall be within the revenue gap left uncovered at ₹2.02 crores, the port has stated that the capital cost of the scanner was not captured in the ARR computation and the income arrived from the container scanner cannot be compared with ARR. The point made by NMPT does not address the information sought by us.

Considering the incremental increase in tariff of container scanner charge by ₹59.00 per TEU (₹211 – ₹152), the incremental revenue would work out to ₹0.59 lakhs for 10,000 TEUs then estimated by the NMPT. Thus, the additional revenue shall be within the revenue gap left uncovered and it shall be within the estimated ARR of ₹421.06 crores estimated in the last general revision Order.

- (xi). The NMPT has proposed note to the effect that the tariff shall be applicable to all import and export laden containers irrespective of it being scanned or not.

The NMPT has stated that it handles around 1 lakh containers per annum and of that laden container are only 30,000 per annum. To keep the rate on lower side and to enable the port to recover the total cost, the port envisages levying the charges on all loaded EXIM Containers. In view of the above position, the note as proposed by the Port is approved. Even in the KOPT, the rate proposed is for all EXIM containers. The proposed note is, therefore, approved.

- (xii). The port, in its earlier proposal dated 6 February 2020, had proposed the conditionality that the container scanning charges shall be collected by the port till concessionaire for Mechanized Container Handling commences its operation and after the commencement of mechanized handling operation, the concessionaire shall collect the scanning charges from user and pay to the port since the expenditure is incurred by the port for procurement, installation, commissioning and operation of container scanner. In the revised proposal, the port has not proposed this note. The port has not furnished any reasons for the same. However, since it is the proposal of the port, this Authority goes with the proposal of the port.
- (xiii). The port has proposed a note that the tariff prescribed will be valid for the period of 15 years from the date it comes into effect subject to automatic Annual indexation.

Though the proposal filed by the NMPT is under the Tariff Policy, 2018 presently applicable in respect of Major Port Trusts, it is relevant to reiterate that the tariff proposed by the port for the new service is following the normative approach and the principles of upfront tariff of 2008 guidelines which is one of the options available under the said Tariff Policy for fixing tariff for new cargo/ service. In case of upfront tariff under 2008 guidelines, the tariff is for the project period and is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI.

Since the proposal of the NMPT is following the principles of the Upfront Tariff Guidelines of 2008, the indexation in the rate has to be @ 60% of the WPI. This is in line with the prescription by this Authority in the case of container scanner charges at VPT and KOPT. Since the revised rate for container scanner based on normative model is being fixed in the early part of 2020, it is appropriate to prescribe the base year for indexation as January 2020. The first indexation shall be on 1 May 2021.

Therefore, a separate note (iii) is prescribed to state that the tariff prescribed will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2020 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.

11.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the revised rate for operation of Mobile X-Ray Container Scanner System at NMPT at ₹211/- per TEU and replaces the existing Schedule 4.7 - Container Scanning Charges under Section 4 – Container Charges in the existing Scale of Rates of NMPT with the following:

“4.7. Container Scanning Charges:

Description	UNIT	Rate (in ₹)
Container Scanning Charges	TEU	211

Notes relating to Schedule 4.7:

- (1). The tariff prescribed for container scanning is applicable to all import and export laden containers whether it is scanned or not.
- (2). The tariff prescribed will be valid for period of 15 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.
- (3). The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January 2020 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. The first annual indexation in tariff shall be on 1 May 2021.”

11.2. The revised rate will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification in the Gazette of India.

11.3. The NMPT is directed to amend the existing SOR suitably.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.- III/4/Exty./64/2020-21]

Annex**COST STATEMENT FOR FIXATION OF TARIFF FOR OPERATION OF X-RAY CONTAINER SCANNER SYSTEM AT NEW MANGALORE PORT TRUST**

Sr. No.	Particulars	Estimates by NMPT in its proposal dated 06.02.2020	Revised Estimates by NMPT vide its letter dated 20.03.2020 and considered by TAMP
I	<u>Optimal handling capacity</u>		
	Total Optimal handling capacity say (TEUs per annum)	2,45,280	2,45,280
	(0.7 x 365 days x 24 Hours x 20 numbers x 2 TEUs)		
II	<u>Capital Cost</u>		
a.	Capital Cost of X-Ray Container Scanner (Excl. GST)+Customs duty	12,88,04,440	12,88,04,440
b.	Capital Cost of Civil Works	3,14,92,627	3,14,92,627
c.	Installation Cost	3,79,20,336	3,79,20,336
d.	Capital Cost for providing power supply including illumination	40,00,000	40,00,000
e.	Capital Cost of L3 switch	11,72,277	11,72,277
	Total Capital Costs	20,33,89,680	20,33,89,680
III	<u>Operating Cost</u>		
a.	Power consumption [(80 units per hour x 245280 TEUs x Rs.9.06 unit rate) / 40 TEUs per hour]	44,44,474	44,44,474

b.	Repair and Maintenance of Civil assets (@ 1% of Civil assets) (Rs. Cost of civil work 31492627 x 1% of civil work)	0	3,14,926
c.	Repair and Maintenance of mechanical and electrical equipment including spares.		
i)	AMC of X-Ray Container Scanner exluding GST (Rs.101538775 / 8 years)	1,26,92,347	1,26,92,347
ii)	Repair and Maintenance of electrical works (@ 2% of Capital Cost) (O&M Cost Rs.4,000,000 + Rs.1,172,277 = Rs.5172277 x 2%)	0	1,03,446
d.	Insurance (@1% of gross fixed assets) (Gross fixed assets Rs.203389680 x 1%)	20,33,897	20,33,897
e.	Depreciation (Life of 15 Years i.e. 6.67%)	1,35,59,312	1,35,59,312
f.	Overhead 5% of (1,26,92,347 cost of AMC + 44,44,474 cost of Electrical power)	8,56,841	0
g.	Manpower (18 Nos. staff x Rs.666 per day x 365)	43,75,620	43,75,620
	Total Operating Cost	3,79,62,490	3,75,24,022
IV	Return on Capital Employed (ROCE)	2,82,03,369	1,42,37,278
		[16% on average WDV of Rs 17,62,71,056]	[7% on capital cost of Rs. 20,33,89,680]
V	Total Annual cost recovery Requirement (III + IV)	6,61,65,859	5,17,61,300
VI	<u>Tariff per TEU</u> (V / I)	270	211

The slight arithmetical error in the total operating cost considered by NMPT at Rs.37,524,021 is corrected as 37,524,022. Consequently, the Total Annual cost recovery also stands slightly corrected for arithmetical accuracy.